

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खंड पन्ना, म0प्र0

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 15/13-14

पन्ना, दिनांक : 20.06.2013

द्वितीय संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मोहरबंद निविदायें प्रपत्र 'अ' प्रतिशत दर पर निम्नलिखित कार्य हेतु प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग म.प्र. भोपाल के द्वारा दिनांक 15.06.2009 से जारी यू.एस.ओ.आर. पर एवं निविदा जारी दिनांक तक संशोधनों पर नवीन प्रणाली (लोक निर्माण विभाग के द्वारा) के तहत सी श्रेणी व उससे उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 02.07.2013 को अपराह्न 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदायें उसी दिन अपराह्न 3:30 बजे उपस्थिति निविदाकारों या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। कोरे निविदा प्रपत्र दिनांक 01.07.2013 तक इस कार्यालय से कार्यालयीन समय में निर्धारित मूल्य जमा कर प्राप्त किए जा सकते हैं।


कार्य का विवरण— पन्ना जिले के गुनौर विकास खण्ड के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में बुन्देलखण्ड पेयजल योजनान्तर्गत नलजल योजनाओं हेतु 2x2x2.5 साईज के पंप हाऊस निर्माण।

गुप क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रु. लाख में)	अमानत की राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य पूर्ण करने की अवधि वर्षाकाल छोड़कर
1	2	3	4	5	6	7
	पन्ना जिले के विकास खण्ड गुनौर के अन्तर्गत निम्नलिखित ग्रामों में 2x2x2.5 साईज के पंप हाऊस निर्माण कार्य।					
—	विकासखंड – गुनौर 1. ग्राम सुहगी 2. ग्राम कटकहा 3. ग्राम सनौरा 4. ग्राम सुमनसा	1.40	2800 /—	1000 /—	“सी” एवं उससे ऊपर	30 दिवस

नियम एवं शर्तें :-

- कार्य जिले के किसी भी ग्राम में परिवर्तित किया जा सकता है।
- एक ग्राम में एक ही चल देयक का भुगतान किया जायेगा। प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग म.प्र. भोपाल के द्वारा दिनांक 15.06.2009 से जारी यू.एस.ओ.आर. पर आधारित है।
- ठेकेदारों द्वारा उक्त यू.एस.ओ.आर. पर अलग-अलग प्रतिशत दरें देना होगी। समस्त संशोधन निविदा जारी होने के दिनांक तक के लागू होंगे।
- यह केवल संक्षिप्त निविदा सूचना है कार्य का विस्तृत विवरण जैसे ड्राइंग स्पेशीफिकेशन तथा कार्य की विस्तृत शर्त कार्यालयीन समय के दौरान निविदा प्राप्ति से एक दिन पूर्व तक संबंधित कार्यालयों से ठेकेदारों द्वारा देखी जा सकेगी।
- शासन द्वारा निर्धारित टेक्स और रायल्टी आदि ठेकेदार को देना होगी।
- कोरे निविदा प्रपत्र डॉक से प्राप्त करने के लिए रु. 100.00 अलग से देना होगा। डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त होने या गुम जाने की जबाबदारी विभाग की नहीं होगी। निर्धारित दिनांक व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।

7. निविदा में सम्मिलित कार्य की मात्रा घटाई / बढ़ाई जा सकती है।
8. कार्य आवंटित करते समय योजना / ग्रामों की संख्या में कमी किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
9. निविदा की दरों की वैधता 120 दिन तक रहेगी।
10. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
11. धरोहर राशि ब्याज धारित प्रतिभूति के रूप में जो रा त्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा जारी की गई हो ही मान्य की जावेगी।
12. पुरानी जमा धरोहर राशि का समायोजन नहीं किया जावेगा।
13. धरोहर राशि के बिना निविदायें खोली नहीं की जावेगी।
14. सक्षम अधिकारी को अधिकार होगा कि सभी निविदायें को बिना कारण बतायें अस्वीकृत कर सकता है।
15. कार्य के दौरान किसी हानि एवं दुर्घटना की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की ही होगी।
16. कार्य लक्ष्य एवं आवंटन की उपलब्धता के आधार पर आवंटित किया जावेगा।
17. कार्य स्थल पर सावधानी सूचना संकेत का उपयोग ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर करना आवश्यक होगा।
18. यह सकर्म निविदा होगी। अतः म.प्र. वाणिज्य कर अधिनियम से धारा 35 (1) के अनुसार वर्क्स कान्ट्रेक्ट पर 2 प्रतिशत की दर से वाणिज्य कर कटौती ठेकेदार के देयक से की जावेगी। एवं प्रपत्र 42 के प्रमाण पत्र पर दिया जावेगा।
19. म.प्र. वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. 264/आर.-444/ब-1/2009 भोपाल दिनांक 31 मार्च 2009 के अनुसार निविदाकार का पंजीयन वाणिज्य कर विभाग अंतर्गत होना अनिवार्य है (टिन नम्बर) प्रमाण- पत्र की सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। अन्यथा निविदा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा। एवं चुकता प्रमाण पत्र - 64 की छाया प्रति
20. निविदा प्रपत्र प्राप्त हेतु आवेदन के साथ ठेकेदार को निम्न दस्तावेज आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा, नहीं तो आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा -
 - 1/- उचित श्रेणी में वैध पंजीयन की प्रति
 - 2/- पार्टनरशिप डीड की प्रति
 - 3/- पैन कार्ड की प्रति एवं आयकर विभाग से आयकर चुकता प्रमाण -पत्र वर्ष 2011-12 एवं 12-13 की प्रति।
 - 4/- हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का अधिकार पत्र
21. कार्य /सामग्री का भुगतान आवंटन के आधार पर किया जावेगा।
22. सामग्री के कार्य स्थल तक परिवहन हेतु कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
23. कार्यालय की स्वीकृति के बिना सबलेटिंग नहीं किया जावेगा।


कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
पन्ना, म0प्र0